पत्र संख्या-स0द0-ई वे बिल व्यवस्था -जॉच निर्देश -2017-18 / 1177 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: अगस्त 16 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 /
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) ,
ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / (कार्यपालक) / (कार्पोरेट)
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर ।

दिनांक 16-08-2017 से प्रान्त मे ई-वे बिल व्यवस्था प्रभावी की गई है । उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अनुरुप करापवंचन के उद्देश्य से बिना उचित / निर्धारित प्रपत्रों के माल परिवहन किये जाने की स्थिति में माल एवं वाहन को डिटेन / सीज किये जाने की व्यवस्था अधिनियम की धारा -129 के अन्तर्गत की गई है । धारा 129 के अन्तर्गत सचलदल इकाइयो के द्वारा कार्यवाही में एकरुपता के उद्देश्य से परिपत्र संख्या-1168 / 1718025 दिनांक 16-08-2017 जारी किया गया है ।

जी0एस0टी0 व्यवस्था एक नई व्यवस्था है । अखिल भारतीय स्तर पर ई-वे बिल की व्यवस्था लागू होने में अभी कुछ समय लगना सम्भावित है । अत: उत्तर प्रदेश माल एव सेवा कर नियमावली के नियम 138 के प्राविधानो के अनुरुप प्रदेश में ई-वे बिल व्यवस्था जो पूर्व मे चल रही थी , उसी को लागू किया गया है । इस व्यवस्था को लागू किये जाने का उद्देश्य केवल करापवंचन रोकना है । अत: सचलदल इकाईयों द्वारा जॉच हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे है :-

1. सचलदल इकाइयों द्वारा रुटीन जॉच कार्य नही किया जायेगा । अपितु नियंत्रक ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के सुस्पष्ट निर्देशों पर सूचना आधारित जॉच की जाएगी ।
2. सामान्यत: रु0 50 हजार से कम के माल के परिवहन की कोई जॉच नही की जायेगी तथा रु0 50 हजार से कम मूल्य के माल का परिवहन यदि बिना ई-वे बिल के किया जा रहा है तब भी इंटरसेप्शन , अभिग्रहण आदि की कार्यवाही नही की जाएगी ।
3. बिना ई-वे बिल 01 के यदि रु0 50 हजार से अधिक के माल का परिवहन किया जा रहा है तो ऐसे माल को रोककर उसके लिये ई-वे बिल डाउनलोड कराया जायेगा और यदि व्यापारी द्वारा ई-वे बिल डाउनलोड कर लिया जाता है तो कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
4. जहाँ ई वे बिल अपेक्षित नही है , वहाँ यदि माल टैक्स इनवॉयस , बिल ऑफ सप्लाई द्वारा परिवहन किया जा रहा है तो ऐसे माल को भी कदापि नही रोका जायेगा । टैक्स इनवॉयस अथवा बिल ऑफ सप्लाई में कोई तकनीकी त्रुटि पाये जाने की स्थिति में व्यापारी को भविष्य में त्रुटि न करने हेतु अवगत करा दिया जाएगा ।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । जोनल एडीशनल कमिश्नर , एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि जॉच के नाम पर किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो । किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

16/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर , वाणिज्य कर / राज्य कर,
उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।